प्रेषक,

जी0एस0 प्रियदर्शी
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊ: दिनांक: 30 अक्टूबर, 2014

विषय: वित्तीय वर्ष 2014-15 नेशनल ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 59.21 करोड़ में से वित्तीय वर्ष 2007-08 में कामन सर्विस सेन्टर योजना हेतु भारत सरकार से प्राप्त धनराशि रू0 35.50 करोड़ में से अवशेष धनराशि रू0 22.07 करोड की स्वीकृति निर्गत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2007-08 में कामन सर्विस सेन्टर योजना हेतु भारत सरकार से प्राप्त धनराशि रू0 35.00 करोड़ में से शासनादेश संख्या-606/78-2-2008-22(2)आई.टी./2005 दिनांक 05.05.2008 द्वारा रू. 10.00 करोड़ की स्वीकृति जारी की गयी थी। इस प्रकार स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि रू0 25.00 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2014-15 में नेशनल ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 59.21 करोड़ में से अवशेष धनराशि रू0 22,07,00,000.00 करोड़ (रू0 बाईस करोड़ सात लाख मात्र) की निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि उक्त का भुगतान संबधित योजना में पारित एमओयू की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(3) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा धनराशि का आहरण कर उसे राज्य समन्वयक सेंटर फार ई-गवर्नेन्स को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

http://finance.up.nic.in

(5) उक्त धनराशि का उपयोग कामन सर्विस सेन्टर योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(6) उक्त धनराशि स्वीकृत धनराशि के व्यय उपरान्त राज्य समन्वयक सेंटर फार ई-गवर्नेन्स द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 उद्योग निदेशक, कानपुर तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-7 उद्योग (भारी मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखा शीर्ष "2852-उद्योग-आयोजनागत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-09-नेशनल ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

(8) यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1/2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 में दी गई व्यवस्थानुसार जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जी0एस0 प्रियदर्शी)
विशेष सचिव।

संख्या-21/1099(1)/78-2-2014 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकर (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
5- संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0,लखनऊ।
7- राज्य समन्वयन सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।
9- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4 ।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/लघु उद्योग अनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2 ।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव।

http://finsanadesh.up.nic.in